

01/09/25 पत्रावली पेश हुई। सुमा
 पत्रावली पर तलबों को मॉफ
 सं. 1, 4, 6, 8, 10, 14 का तलब
 रद्द पर क्रमिक विराम एप्लीकेशन
 अमल में लाई जाते हैं। क्रमिक
 ही तलबों अदम प्राप्त हुई। पत्रावली
 पेश करने अशालम पते के साथ
 तलबों सं. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13
 फाई 25/09/25 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (सुसुर्त)

25/9/25 पत्रावली पेश
 पीठासीन अधिकारी
 बैठक/आर. ओ. बैठक/
 पत्रावली वास्ते गत-आदेशानुस
 को पेश हो।

स्थिति/
 सुनवाई/
 यस्त है।

..... 25/9/25

रीडर

14/09/25 प्रा. पत्र मित्राल तलबों पेश होने पर

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित वकील
 गौरी/प्राथी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वे प्रकरण
 को अंगे नहीं चलाना चाहते तथा इसी स्तर पर खारिज/
 नोट प्रेस खारिज करवाना चाहते हैं तथा इस आशय के
 आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। फलस्वरूप प्रकरण को इसी
 स्तर पर खारिज/नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय
 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर
 नम्बर से कम हो तथा दाखील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी